रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा): (क) जी हां।

(ख) पुलिस ने जांच पड़ताल बन्द कर दी है और अन्तिम रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका।

बिहार में रेलवे लाइन के निकट बमों का पाया जाना

7943. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अग्रवाल :

क्या रेलवे मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3018 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नया गांव नामक स्थान में रेलवे लाइन के पास तीन बमों के पाये जाने के मामले में, जिसमें दो विद्यार्थी पकड़े गये थे की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मू० पुनाचा): (क) जी नहीं।

(ख) अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखाने

7944. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत में खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखानों को सहायता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पटना स्टेशन पर तांबे का पकड़ा जाना

7945. श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री 25 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2577 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्टेशन पर पकड़े गये तांबे के संबंध में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मू० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत रक्षा अधिनियम की धारा 12(क) के साथ साथ 1965 के दुर्लभ औद्योगिक पदार्थ (नियंत्रण) आदेश) के नियम 4(1) के अन्तर्गत पुलिस ने अभियुक्त को आरोप पत्र, सं० 24/67, ता० 29-3-67, दिया था। मामला अदालत में है।